न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–263/2014 (जीसीएमएस नं. 2014/00035)

1. लाला पुत्र गुमाना, जाति अहीर निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. श्री बनवारी लाल शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 04.04.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम मोहनपुरा पटवार क्षेत्र जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 107 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 108/2 रकबा 16 बिस्वा के अलावा अन्य कृषि भूमि प्रार्थी के पिता गुमाना वल्द गिरधारी कौम अहीर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज एवं अंकित रही है, प्रथम खतौनी बन्दोबस्त में प्रार्थी के पिता गुमाना वल्द गिरधारी के नाम खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 107 की किस्म भूमि बंजड़ का चराई तथा खसरा नम्बर 108/2 की किस्म भूमि चाही दोयम राजस्व अभिलेख में दर्ज एवं अंकित रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2028 में साबिक खसरा नम्बर 107 व 108/2 कृषि भूमि बंजड का चराई व चाही दोयम रही है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का पिता अपने बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त रहे है एवं उपयोग उपभोग करते रहे है। साबिक खसरा नम्बर 107 के दौराने बन्दोबस्त हाल खसरा नम्बर 208 लगायत 212 कायम किये गये तथा साबिक खसरा नम्बर 108/2 के हाल खसरा नम्बर 208 कायम किये गये एवं प्रार्थी एवं उसके भाईयों के मध्य पारस्परिक सहमति के आधार पर विभाजन होने से प्रार्थी के नाम अन्य भूमि के अलावा खसरा नम्बर 208 लगायत 211 हिस्से में आये जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है एवं उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दौराने बन्दोबस्त साबिक खसरा नम्बर 107 व 108/2 के हाल खसरा नम्बर कायम किये गये लेकिन खसरा नम्बर 210 व 211 की किस्म सहवन से गैर मु. तालाब अंकित कर दी

P.T.O.

गई जबकि उक्त भूमि कभी गैर मु. तालाब नही रही है और न ही वर्तमान में है, उक्त भूमि काबिल काश्त है और काश्त में उपयोग–उपभोग प्रार्थी करता चला आ रहा है। उन्होने आगे कथन किश है कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2019 व 2030 से 2033 में उक्त भूमि काबिल काश्त अंकित की गई है ओर उक्त भूमि वास्तविक रूप से प्रार्थी के काबिल काश्त के उपयोग उपभोग में काम आ रही है, प्रार्थी उक्त भूमि को अपने पूर्वजों के समय से अपने उपयोग एवं उपभोग में लेता चला आ रहा है लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से गै0मु0 तालाब अंकित कर दिया जबकि उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा कृषि व रहवास के उपयोग में उपभोग करता चला आ रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर जो हाल नम्बर कायम करते समय भूमि हाल खसरा नम्बर 210 व 211 की किस्म गै0 मु0 तालाब कायम किया है वह गलत है क्योंकि प्रार्थी की उक्त भूमि साबिक राजस्व अभिलेख अनुसार कभी भी गै0मु0 तालाब के उपयोग उपभोग में नही रही है। उक्त भूमि गलत रूप से गैर मु. तालाब अंकित की है वह काबिले दुरूस्तनीय है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2014 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरकार जरिये तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि हाल खसरा नम्बर 210, 211 में अपीलान्ट के पुराने व नये पुख्ता मकान व पशुबाड़े के काम आ रही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कयासी आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग ने अपीलार्थी की खातेदारी भूमि की किस्म बिना अधिकार के परिवर्तित की है जो कानूनन शून्य है जिसकी दुरूस्ती धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की जानी कानूनन आवश्यक थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम कानूनी तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2014 को निरस्त किया जावें तथा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 210 व 211 की किस्म गैर. मुमकिन तालाब है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार नदी, नाले, तालाब इत्यादि की भूमि की किस्म दुरूस्त नही की जा सकती इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2014 में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि

अपीलार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 136 के माध्यम से उक्त आराजी की किस्म तय कराना चाहे रहे है जबकि धारा 136 के माध्यम से केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त कराया जा सकता है एवं तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट में उक्त वादग्रस्त आराजी की किस्म तालाब है तथा तालाब की भूमि की किस्म को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्रदत्त नही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2014 के माध्यम से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2014 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।